

आदेश - पत्रक

अनुसूचित 14-फारम नं० 562

(देखें अधिलेख, 1941 का नियम 129)

450 / 13-14

आदेश पत्रक ता० से
 जिला **दा० खा० वा० सं०**

आदेश की क्र० सं० और ता०	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित										
1	2	3										
	<p style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">श्री श्री कृष्ण कुमारी</p> <p>पत्न श्री श्री अशोक गुप्त ग्राम ह. प. ५१ धाना 1061/अली जिला दा० खा० पं० थाला नं० दिनांक</p> <p>के आधार पर निम्नांकित जमान पर दाखिल खरिज हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया है।</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">मौजा का नाम</td> <td style="width: 15%;">तौजी नं०</td> <td style="width: 15%;">खाता नं०</td> <td style="width: 15%;">खसरा</td> <td style="width: 30%;">एराजी</td> </tr> <tr> <td>चकलपुर</td> <td></td> <td>670</td> <td>1554</td> <td>59</td> </tr> </table> <p style="text-align: center; font-size: 1.5em; font-weight: bold;">21</p>	मौजा का नाम	तौजी नं०	खाता नं०	खसरा	एराजी	चकलपुर		670	1554	59	
मौजा का नाम	तौजी नं०	खाता नं०	खसरा	एराजी								
चकलपुर		670	1554	59								
	<p>मूल आवेदन पत्र इत्यादि कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन हेतु दे दें। महाल पर सूचना जारी कर आपत्ति की मांग कर। अधिलेख दिनांक 10/5/13 को उपस्थित करें।</p> <p style="text-align: center;"> MS MS </p> <p>जंमल अधिकारी अंचल अधिकारी</p>											
	<p>महाल पर नामित नोटिस प्राप्त है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। कर्मचारी का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उन लोगों ने आवेदन के नाम दाखिल खरिज करने की अनुरासा किये हैं। फलतः उनके अनुरासा के आधार पर दाखिल खरिज किया जाता है। शर्त पत्र नियत कर।</p> <p>दिनांक एवं मुद्रा MS</p> <p style="text-align: center;">जंमल अधिकारी अंचल अधिकारी</p>											